न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/398

1. श्रीमती फूंदी बाई आयु 71 वर्ष पत्नी स्व0 श्री चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोहली तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. टिल्लू आयु 16 वर्ष पुत्र स्व0 श्री भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोहली तहसील बून्दी जिला बून्दी अवयस्क द्वारा प्राकृतिक संरक्षक दादी श्रीमती फून्दी बाई पत्नी श्री चतुर्भुज जी जाति गुर्जर निवासी लोहली तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. पन्ना लाल आयु बालिग आत्मज श्री देवीराम जाति धोबी निवासी केसरपुरिया तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. किशन गोपाल आयु बालिग आत्मज श्री देवीराम जाति धोबी निवासी केसरपुरिया तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 16/399

1. श्रीमती फूंदी बाई आयु 71 वर्ष पत्नी स्व0 श्री चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोहली तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. टिल्लू आयु 16 वर्ष पुत्र स्व0 श्री भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोहली तहसील बून्दी जिला बून्दी अवयस्क द्वारा प्राकृतिक संरक्षक दादी श्रीमती फून्दी बाई पत्नी श्री चतुर्भुज जी जाति गुर्जर निवासी लोहली तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. पन्ना लाल आयु बालिग आत्मज श्री देवीराम जाति धोबी निवासी केसरपुरिया तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. किशन गोपाल आयु बालिग आत्मज श्री देवीराम जाति धोबी निवासी केसरपुरिया तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 18/214

1. श्रीमती फूंदी बाई आयु 71 वर्ष पत्नी स्व0 श्री चतुर्भुज जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोहली तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. टिल्लू आयु 16 वर्ष पुत्र स्व0 श्री भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोहली तहसील बून्दी जिला बून्दी अवयस्क द्वारा प्राकृतिक संरक्षक दादी श्रीमती फून्दी बाई पत्नी श्री चतुर्भुज जी जाति गुर्जर निवासी लोहली तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. पन्ना लाल आयु बालिग आत्मज श्री देवीराम जाति धोबी निवासी केसरपुरिया तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. किशन गोपाल आयु बालिग आत्मज श्री देवीराम जाति धोबी निवासी केसरपुरिया तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब तहसील बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से तीनों अपीलों में ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट कम 03 की ओर से तीनों अपीलों में ।

निर्णय दिनांकः 14.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील संख्या 16/398 एवं 16/399 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 प्रकरण संख्या 140/दावा/2010 व 142/दावा/2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं एवं अपील संख्या 18/214 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 22.02.2018 प्रकरण संख्या 139/दावा /2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. तीनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त तीनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. अपील संख्या 16/398 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत

वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम केसरपुरिया तहसील व जिला बून्दी में पुराने खसरा नम्बर 78 जिसके नये खसरा नम्बर 93 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के खातेदार पन्ना आत्मज देवीराम जाति धोबी था । प्रतिवादी कम 01 द्वारा प्रस्ताव देने पर चतुर्भुज व पन्ना के बीच बातचीत हुयी चतुर्भुज द्वारा अपने स्वयं के नाम 04 बीघा भूमि 2000/– रूपये में खरीदना स्वीकार कर लिया जिसकी पुष्टि में चतुर्भुज से रकम प्राप्त कर प्रतिवादी कम 01 ने एक विक्रय पत्र चतुर्भुज के हक में दिनांक 20.03.1971 को पंजीकृत निष्पादित किया और इस भूमि को रहन मुक्ति हेतु रहनग्रहिता को रकम अदा करके कब्जा छोडने के हस्ताक्षर भी करवाये । इस क्रय के साथ ही चतुर्भुज उक्त क्रय की गई भूमि पर खातेदार के रूप में काबिज हुआ । राजस्व रिकॉर्ड में केता चतुर्भुज का नाम खातेदार के रूप में अंकित नहीं होने से उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है । प्रतिवादी पन्ना द्वारा सन् 1971 में भैरूलाल के हक में किये गये बेचान के सम्बन्ध में तत्समय सरकार द्वारा बेचानकर्ता को अनुसूचित जाति का मानते हुए भूमि को सिवायचक करने के लिए एक दावा सरकार की ओर से अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया था जो दिनांक 25.10.1979 को खारिज किया गया । वादग्रस्त आराजी अभी तक वादीगण के नाम खाते में दर्ज नहीं की गई है ।

4. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे और बेचानशुदा भूमि के बाबत् प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे ।

5. अपील संख्या 16/399 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम केसरपुरिया तहसील व जिला बून्दी में पुराने खसरा नम्बर 78 जिसके नये खसरा नम्बर 93 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के खातेदार पन्ना आत्मज देवीराम जाति धोबी था । प्रतिवादी कम 01 द्वारा प्रस्ताव देने पर चतुर्भुज व पन्ना के बीच बातचीत हुयी चतुर्भुज द्वारा अपनी पत्नी के नाम 04 बीघा भूमि 2500/– रूपये में खरीदना स्वीकार कर लिया जिसकी पुष्टि में चतुर्भुज से रकम प्राप्त कर प्रतिवादी कम 01 ने एक विक्रय पत्र फूंदीबाई के हक में दिनांक 20.03.1971 को पंजीकृत निष्पादित किया और इस भूमि को रहन मुक्ति हेतु रहनग्रहिता को रकम अदा करके कब्जा छोडने के हस्ताक्षर भी करवाये । इस क्रय के साथ ही फूंदीबाई उक्त क्रय की गई भूमि पर खातेदार के रूप में काबिज हुआ । राजस्व रिकॉर्ड में केता फूंदीबाई का नाम खातेदार के रूप में अंकित नहीं होने से उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है । प्रतिवादी पन्ना द्वारा सन् 1971 में भैरूलाल के हक में किये गये बेचान के सम्बन्ध में तत्समय सरकार द्वारा बेचानकर्ता को अनुसूचित जाति का मानते हुए भूमि को सिवायचक करने के लिए एक दावा सरकार की ओर से अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया था जो दिनांक 25.10.1979 को खारिज किया गया । वादग्रस्त आराजी अभी तक वादीगण के नाम खाते में दर्ज नहीं की गई है ।

6. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित

किया जावे राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे और बेचानशुदा भूमि के बाबत् प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे ।

7. अपील संख्या 18/214 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम केसरपुरिया तहसील व जिला बून्दी में पुराने खसरा नम्बर 78 जिसके नये खसरा नम्बर 93 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के खातेदार पन्ना आत्मज देवीराम जाति धोबी था । प्रतिवादी कम 01 द्वारा प्रस्ताव देने पर चतुर्भुज व पन्ना के बीच बातचीत हुयी चतुर्भुज द्वारा अपने पुत्र के नाम 04 बीघा 17 बिस्वा भूमि 2500/– रूपये में खरीदना स्वीकार कर लिया जिसकी पुष्टि में चतुर्भुज से रकम प्राप्त कर प्रतिवादी कम 01 ने एक विकय पत्र भैरूलाल के हक में दिनांक 20.03.1971 को जरिये पंजीकृत निष्पादित किया और इस भूमि को रहन मुक्ति हेतु रहनग्रहिता को रकम अदा करके कब्जा छोडने के हस्ताक्षर भी करवाये । इस कय के साथ ही भैरूलाल उक्त कय की गई भूमि पर खातेदार के रूप में काबिज हुआ । राजस्व रिकॉर्ड में केता भैरूलाल का नाम खातेदार के रूप में अंकित नहीं होने से उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है । प्रतिवादी पन्ना द्वारा सन् 1971 में भैरूलाल के हक में किये गये बेचान के सम्बन्ध में तत्समय सरकार द्वारा बेचानकर्ता को अनुसूचित जाति का मानते हुए भूमि को सिवायचक करने के लिए एक दावा सरकार की ओर से अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया था जो दिनांक 25.10.1979 को खारिज किया गया । वादग्रस्त आराजी अभी तक वादीगण के नाम खाते में दर्ज नहीं की गई है ।

8. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे और बेचानशुदा भूमि के बाबत् प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे ।

9. तीनों दावों में प्रतिवादी कम 03 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाबदावा पेश कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने अपील संख्या 16/398 एवं 16/399 के वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 20.06.2016 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया एवं अपील संख्या 18/214 में वाद का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया ।

11. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में तीनों अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण द्वारा उक्त भूमि सन् 1971 में कय की गई थी जिस पर तत्समय इंतकाल इसलिए नहीं खोला गया कि उक्त बेचानकर्ता को अनुसूचित जाति का व्यक्ति मानकर वादीगण के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही कर दी गई थी जिसका निर्णय दिनांक 25.10.1979 को पारित कर कार्यवाही को खारिज किया जा चुका है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की सूचना वादीगण

अपीलान्ट को नहीं दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण की अनुपस्थिति दो प्रकरणों में उक्त निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2015 एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2018 निरस्त फरमाये जावें ।

12. तीनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

13. तीनों अपीलों में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि दो वादों का निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है और एक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है जो विधि –विरूद्ध है । वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सन् 1971 में चतुर्भुज, फूंदीबाई एवं भैरूलाल के नाम क्रय की गई थी परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में क्रेता का नाम दर्ज नहीं किया जा सका था । चतुर्भुज की मृत्यु हो चुकी है । सन् 1971 में धोबी अनुसूचित जाति में नहीं आती थी इस कारण धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जो कार्यवाही की गई थी वह भी निरस्त की जा चुकी है । वादी वादग्रस्त आराजी के सद्भावी क्रेता हैं और वे काबिज काश्त हैं । अतः तीनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2015 एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2018 निरस्त फरमाये जावें ।

14. रेस्पोडेन्ट क्रम 03 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विक्रय धारा 42 बी के उल्लंघन में हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ने विधि सम्मत रूप से वाद वादीगण खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.02.2018 एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2018 बहाल रखे जावें ।

15. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपील संख्या 16/398 एवं 16/399 अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उनके मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा हुआ है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए वादीगण के दावे खारिज किये गये हैं । अपील संख्या 18/214 में बहस सुने जाने के उपरान्त निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया गया है । चूँकि पक्षकारान समान हैं और वादग्रस्त आराजी भी समान हैं इस कारण हम इन प्रकरणों में एक साथ निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं ।

16. अपील संख्या 16/398 एवं 16/399 में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सीपीसी की पालना किये बिना लोक अदालत की भावना के विपरीत निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट के द्वारा अपील मीमों में यह भी कथन किया गया है कि सन् 1971 में जब आराजी क्रय की गई थी तब प्रतिवादी अनुसूचित जाति में नहीं आते थे इस

कारण धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही भी निरस्त की गई थी । इस बिन्दु पर जॉच करने के उपरान्त ही प्रकरणों में निर्णय किया जाना आवश्यक समझते हैं । इन तथ्यों के आधार पर तीनों ही प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों एवं डिक्री को निरस्त करते हुए हम प्रकरणों को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 16/398, 16/399 एवं 18/214 तीनों ही आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2018 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सीपीसी की पालना करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तीनों प्रकरणों में एक साथ विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा